

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 08/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/55

दायर दिनांक :- 02.02.2024

निर्णय दिनांक :- 21.01.2025

1. बेबीदेवी पत्नी माणकराम जाति माली निवासी राजासनी तहसील तिवरी जिला जोधपुर
2. प्रेमराम पुत्र भैराराम जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र भैराराम जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
2. नखताराम पुत्र भैराराम जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
3. मूमल पत्नी महेन्द्र जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा नोख तहसील बाप जिला फलोदी
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

- उपस्थित :- 1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—



वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप में खसरा नम्बर 2753 रकबा 14-14 बीघा, खसरा नम्बर 2754 रकबा 12-15 बीघा, खसरा नम्बर 2755 रकबा 3-10 बीघा तथा खसरा नम्बर 2756 रकबा 9-05 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनकर ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप में खसरा नम्बर 2753 रकबा 14-14 बीघा, खसरा नम्बर 2754 रकबा 12-15 बीघा, खसरा नम्बर 2755 रकबा 3-10 बीघा तथा खसरा नम्बर 2756 रकबा 9-05 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक

21/01/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप में खसरा नम्बर 2753 रकबा 14-14 बीघा, खसरा नम्बर 2754 रकबा 12-15 बीघा, खसरा नम्बर 2755 रकबा 3-10 बीघा तथा खसरा नम्बर 2756 रकबा 9-05 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/बीघा	किस्म
1	मांगीलाल पुत्र भैराराम 100/603 हिस्सा, मूमल पत्नी महेन्द्र 101/603 हिस्सा जाति माली प्रेमराम पुत्र भैराराम 1/3 हिस्सा जाति माली नि. नोख बेबी देवी पत्नी माणकराम 1/3 हिस्सा जाति माली निवासी राजासनी तहसील तिवरी जोधपुर खातेदार। लीज मांगीलाल, मूमल, प्रेमराम, बेबीदेवी का हिस्सा लीज प्रेरक ग्रीन टेक सोलर प्रा. लि	नोख	2753 2754 2756	14-14 बीघा 12-15 बीघा 2-14 बीघा	बा-2 बा-1 बा-1
2	नखताराम पुत्र भैराराम जाति माली निवासी नोख खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा नोख	नोख	2755 2756	3-10 बीघा 6-11 बीघा	बा-1 बा-1

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
साहायक कलेक्टर एवं
बाप (फलोदी)
बाप (फलोदी) अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तादाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

- बेबीदेवी पत्नी माणकराम जाति माली निवासी राजासनी तहसील तिवरी जिला जोधपुर
- प्रेमाराम पुत्र भैराराम जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी

-वादी

बनाम

- मांगीलाल पुत्र भैराराम जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
- नखताराम पुत्र भैराराम जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
- मूमल पत्नी महेन्द्र जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
- शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा नोख तहसील बाप जिला फलोदी
- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 8/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप में खसरा नम्बर 2753 रकबा 14-14 बीघा, खसरा नम्बर 2754 रकबा 12-15 बीघा, खसरा नम्बर 2755 रकबा 3-10 बीघा तथा खसरा नम्बर 2756 रकबा 9-05 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/बीघा	किस्म
1	मांगीलाल पुत्र भैराराम 100/603 हिस्सा, मूमल पत्नी महेन्द्र 101/603 हिस्सा जाति माली प्रेमराम पुत्र भैराराम 1/3 हिस्सा जाति माली नि. नोख बेबी देवी पत्नी माणकराम 1/3 हिस्सा जाति माली निवासी राजासनी तहसील तिवरी जोधपुर खातेदार। लीज मांगीलाल, मूमल, प्रेमराम, बेबीदेवी का हिस्सा लीज प्रेरक ग्रीन टेक सोलर प्रा. लि	नोख	2753 2754 2756	14-14 बीघा 12-15 बीघा 2-14 बीघा	बा-2 बा-1 बा-1
2	नखताराम पुत्र भैराराम जाति माली निवासी नोख खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा नोख	नोख	2755 2756	3-10 बीघा 6-11 बीघा	बा-1 बा-1

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लदटा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसत् मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.01.2025 को जारी की गई।



(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।